न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—17/2020/225 (2020/00017)

1. श्रीमती चांद कंवर पत्नि हनुमानसिंह,
2. योगेश्वरी कंवर पुत्री हनुमान सिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी रामनेर की ढाणी, तह0 व जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. गीता कंवर पुत्री स्व0 दातार सिंह पत्नि गजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी रामनेर की ढाणी हाल निवासी रूपनगढ़, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर जरिये आनन्द सिंह पुत्र अमरसिंह, जाति राजपूत, निवास रामनेर की ढाणी, तहसील व जिला अजमेर ।
2. उमराव सिंह पुत्र दातार सिंह,
3. राजेश्वरी उर्फ राजेश कंवर पुत्री हनुमान सिंह,
4. मान कंवर पत्नि अमर सिंह,
5. अमर सिंह पुत्र कानसिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी रामनेर की ढाणी, तहसील व जिला अजमेर ।
6. लाड कंवर पत्नि गणपतसिंह,
7. रघुवीर सिंह पुत्र गणपत सिंह,
8. मूल सिंह पुत्र गणपतसिंह,
9. मूलसिंह पुत्र गणपतसिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी रामनेर की ढाणी, तहसील व जिला अजमेर ।
10. पप्पू कवंर पुत्री गणपत सिंह पत्नि रामपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी करणी फाटक रोड़, झोटवाड़ा, जिला जयपुर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
12. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, अरड़का, तह0 व जिला अजमेर ।
13. उप पंजीयक, प्रथम, जिला अजमेर ।
14. उप पंजीयक, द्वितीय, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर दिनांक 19.8.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 56/2019

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सुमित जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 9 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 11 से 14.

निर्णय

दिनांकः— 22.12.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के आदेश दिनांक 19.8.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया गया जिसके संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर निवेदन किया कि वादिया ग्रामीण परिवेश की पर्दानी विधवा महिला है । वादिया के पिता दातार सिंह पुत्र कानसिंह का हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रभाव में आने के पश्चात् दिनांक 7.3.2000 को निर्वसियती देहावसान हो गया था। वादिया एवं प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी एक ही परिवार के सदस्य होकर छोटूसिंह के वारिसान है । उपरोक्त छोटूसिंह के विधिक वारिसान जोधसिंह, नाथूसिंह व कानसिंह थे । जोधसिंह व नाथूसिंह नाऔलाद फौत हो गये तथा कानसिंह के तीन विधिक वारिसान वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वाधिकारी दातार सिंह, प्रतिवादी संख्या 6 अमरसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 7 गणपतसिंह हुए । ग्राम रामनेर की ढाणी स्थित खाता संख्या 5 के खसरा संख्या 77 रकबा 031 है0, खसरा नंबर 78 रकबा 0.45 है0, खसर नंबर 72 रकबा 0.42 है0, खसरा संख्या 73 रकबा 0.07 है0, खसरा संख्या 87 रकबा 0.05 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.30 है0 भूमिया वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की पुश्तैनी भूमि है जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की निजी अर्जित श्रेणी की नहीं होकर पूर्वजों के आधार पर अर्जित है । उपरोक्त भूमि में वादिया के पिता दातार सिंह एवं पूर्वाधिकारी जोधसिंह, नाथूसिंह के विरासत हक, हिस्से, पारिवारिक समझौते अनुसार संपूर्ण हिस्सा रहा था, संपूर्ण में वादिया का 1/3 हिस्सा बनता है । इसी प्रकार खाता संख्या 311 के खसरा संख्या 188 रकबा 0.48 है0 एवं खसरा नंबर 119 रकबा 0.18 है0 भूमियों में वादिया के पिता दातार सिंह एवं पूर्वाधिकारी जोधसिंह, नाथूसिंह के विरासत हक, हिस्से पारिवारिक समझौते के अनसार संपूर्ण हिस्सा रहा था जिसमें वादिया का 1/3 हिस्सा बनता है । इसी प्रकार खाता संख्या 526 के खसरा नंबर 124 रकबा 1.48 है0, 127 रकबा 1.20 है0, खसरा नंबर 128 रकबा 0.59 है0 एवं खसरा नंबर 128/3043 रकबा 0.73 है0 भूमियों में वादिया के पिता दातारसिंह एवं पूर्वाधिकारी जोधसिंह, नाथूसिंह के विरासत हक, हिस्से पारिवारिक समझौते के अनुसार 1/2 हिस्सा बनता है । उपरोक्त भूमि के वर्किंग खसरा नंबर 176 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नंबर 177 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा था जिसमें वादिया के पिता दातारसिंह 1/2 हिस्से के एवं प्रतिवादी संख्या 7 1/2 हिस्से के सह खातेदार काबिज काश्तकार थे एवं वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 7 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 5 उनके 1/2 हिस्से का सहखातेदार है । प्रतिवादी संख्या 5 एवं उपरोक्त प्रतिवादी सख्या 7 के हिस्से बाबत् वादिया का कोई विवाद नहीं है । इसी प्रकार खाता संख्या 5 के खसरा संख्या 3657/3321 रकबा 0.08 है0 एवं खसरा नंबर 71 रकबा 0.05 है0 में वादिया के पिता दातार सिंह एवं पूर्वाधिकारी जोधसिंह, नाथूसिंह के विरासत ह, हिस्से पारिवारिक समझौते अनुसार 1/2 हिस्सा था । उपरोक्त 1/2 हिस्सा में वर्णित वंशावली अनुसार वादिया 1/6 हिस्से की स्वामी रहती है एवं शेष 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 6 का नाम दर्ज है । उक्त आराजी बाबत् भी कोई विवाद नहीं है । इसके अतिरिक्त खाता संख्या 424 के खसरा नंबर 60/3322 रकबा 0.05 है0 भूमि में वादिया के पिता दातारसिंह एवं पूर्वाधिकारी जोधसिंह, नाथूसिंह के विरासत हक, हिस्से पारिवारिक समझौते अनुसार 1/2 हिस्सा था । उपरोक्त 1/2 हिस्सा में वर्णित

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

वंशावली अनुसार वादिया का 1/6 हिस्सा है एवं शेष 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्से बाबत् वादिया का कोई विवाद नहीं है। उक्त भूमि मूलतः दातारसिंह पुत्र कानसिंह एवं उपरोक्त नाथूसिंह, जोधसिंह के अधिकार की थी एवं उपरोक्त आधार पर उपरोक्त भूमियां वादिया की पुश्तैनी है । वादिया के पिता दातारसिंह पुत्र कानसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 4 के पूर्वाधिकारी हनुमानसिंह एवं भंवर कंवर पत्नि दातार सिंह के नाम विरासत के दो नामांतकरण संख्या 220 दिनांक 7.8.2001 एवं 213 दिनांक 23.3.2001 को दर्ज किया गया था। उपरोक्त नामांतकरण जन्म से ही शून्य व निष्प्रभावी है क्योंकि वादिया भी दातारसिंह की जायंदा पुत्री होकर हिन्दू उत्तराधिकारी अधि0 की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस है । उक्त गलत इंद्राज के आधार पर प्रतिवादीगण वादिया को विवादित आराजियात से बेदखल करने एवं अन्यंत्र हस्तातंरण करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 19.8.2019 द्वारा प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उभयपक्ष को वाद के निर्णय तक विवादित आराजी के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का वादग्रस्त आराजियात में किसी भी प्रकार का हक व अधिकार निहित नही था तथा वादग्रस्त आराजियात बाबत् पक्षकारों के मध्य पूर्व में ही एक राजस्व वाद संख्या 63/2010 बउनवानी दलपत सिंह बनाम अमरसिंह में अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 23.6.2009 को ही निर्णरू पारित किया जा चुका था तथा वादिया ने उक्त आदेश के विरूद्ध आज तक किसी भी प्रकार कोई अपील सक्षम न्यायालय में पेश नहीं की है । उक्त तथ्य अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध थे इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । वादग्रस्त आराजियात बाबत् राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामांतकरण संख्या 723 दिनांक 20.12.2016 को ही तस्दीक किया जा चुका था जिसके विरूद्ध वादिया द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चाराजोही नहीं की गई है । दातारसिंह की मृत्यु लगभग 20 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी तथा रेस्पो0 संख्या 1/वादिया द्वारा उक्त वाद लगभग 20 वर्ष उपरांत पेश किया गया था जबकि विवादित आराजियात बाबत् कई नामांतकरण तस्दीक किये जा चुके है जिन्हें वादिया ने किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है । अपीलांटस अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.6.2015 से प्राप्त बंटवारे में आई आराजियात पर काबिज काश्त चली आ रही है तथा वर्तमान में अपीलांट अपने हिस्से की आराजियात बाबत् राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चली आ रही है तथा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है । इन सभी तथ्यों को अधी0न्याया0 ने नजरअंदाज कर अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विवादित आराजियात बाबत् नामांतकरण संख्या 220 दिनांक 7.8.2001 एवं नामांतकरण संख्या 213 दिनांक 23.1.2001 के विरूद्ध भी वादिया ने आज दिवस तक चुनौती देकर निरस्त नहीं करवाया है । इस कारण वादिया विबन्ध के सिद्धांत से बाधित है ।

वादिया द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष संपूर्ण आराजियात राजस्व वाद प्रस्तुत नहीं कर अपनी इच्छा अनुसार कुछ ही खसरा नंबरों का राजस्व वाद प्रस्तुत किया है तथा वादग्रस्त आराजियात में से दातारसिंह पुत्र कानसिंह द्वारा अपनी पुश्तैनी आराजियात में से लगभग 16–17 बीघा भूमि का विक्रय किया जा चुका था । इन सभी तथ्यों को छिपाते हुए वादिया द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपने समक्ष लंबित राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2017 में बहस समाहत कर अपने निर्णय दिनांक 19.8.2019 को निर्णय पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का आदेश पारित किया था जिसकी सूचना उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण को जरिये पत्र द्वारा कर दी गई थी किन्तु उक्त सूचना प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हो सकी । इस कारण प्रार्थीगण समयावधि में अपील के विरूद्ध अपील पेश नही कर पाये थे । हाल ही में दिनांक 10.1.2020 को जब प्रार्थीगण अपने प्रकरण की जानकारी लेने हेतु अधिवक्ता से मिला तो जानकारी हुई । जिस पर अविलंब अपील तैयार करवाकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 दातारसिंह की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है । विवादित आराजियात पुश्तैनी आराजियात है जिसमें वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का जन्म से हक व अधिकार निहित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात अपीलांटस की स्वअर्जित नहीं होकर पुश्तैनी आराजियात है जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 का भी हक व हिस्सा है। अप्रार्थीगण/अपीलांटस ने रेस्पो0 संख्या 1 को उसके हिस्से से वंचित करने की गरज से राजस्व अधिकारियों के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 को दारातार सिंह की वंशावली से मिलीभगत कर एवं न्यायालय के समक्ष जानबूझकर अपूर्ण वंशावली का विवरण अंकित कर स्वंय को ही दातारसिंह का उत्तराधिकारी बताकर त्रुटिपूर्ण अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाया है । वादिया का वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । यदि वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजियात का अन्यंत्र हस्तातंरण, बैचान हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति रेस्पो0 संख्या 1 को ही होने की संभावना है तथा वादिया का वाद प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा । अधी0न्याया0 ने वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 गीता कंवर ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर कथन किया कि प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 दातारसिंह की पुत्री है जिसका विवादित

आराजियात में हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत हक व अधिकार है । प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 को वादग्रस्त आराजियात में क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इन सब तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु प्रथम दृष्टया विवादित आराजियात पुश्तैनी होने से यदि वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजियात का अप्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा अन्यंत्र हस्तातंरण, बैचान इत्यादि कर दिया जाता है तो प्रार्थिया/रेस्पो0 द्वारा वाद प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा तथा पक्षकारान के मध्य ओर अधिक़ वाद बाहुल्यता बढ़ेगी । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखकर वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को विवादित आराजियात के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.8.2019 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर